दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

वर्ष 64 | अंक–10 | दिल्ली | फरवरी (द्वितीय) | मूल्य : 2 रु.

दलित साहित्य–मानव मुक्ति का साहित्य

• एस. एल. विरदी एडवोकेट

जब साहित्यकार समाज में उथल पुथल मचा देने वाले विचारों की बात करते हैं तो वे केवल इस बात को ही जाहिर करते हैं कि पुरातन साहित्य के पेट में नए साहित्य के बीज पड़ चुके हैं और साहित्य की पुरातन परिस्थितियों के खात्मे के साथ ही पुरातन विचारों का खात्मा भी हो रहा है।

दलित साहित्य को अब ज्यादा देर तक आंख से ओझल नहीं किया जा सकता। दलित साहित्य अपने अन्दर जो अंधेरी तूफान, समुद्र की अथाह गहराइयां छुपाये बैठा है, उससे अब कोई भी अनजान नहीं रह सकता।

दलित साहित्य पिछले काफी वर्षों से बहुत चर्चा व बहस का विषय है। कुछ इस शब्द 'दलित साहित्य' को ही स्वीकार करते हैं, और कुछ इसकी जरूरत पर जोर भी देते हैं। इस प्रकार के विचार मन्थन से आज के दलित साहित्य का निर्माण हुआ है।

सामाजिक और साहितियक समस्याओं का सम्बन्ध व सहयोग से ही दलित साहित्य आवश्यक बन गया है। दलित साहित्य से महसूस होने वाले अहसास का सामयिक अनोखापन ही इसका लक्ष्य है।

'दलित साहित्य' शब्द की परिभाषा करते वक्त जिन्होंने इस शब्द का 'पतित', 'गिरा हुआ', 'गला हुआ', 'पिछड़ा' अर्थ निकाला है, उन्होंने इसके अन्दरूनी महसूस होने वाले अहसास को आंख से ओझल किया है।

'दलित साहित्य' की परिभाषा करने से पहले इस शब्द के भीतर छुपी भावनाओं को स्पष्ट देखना जरूरी है। मानवी अधिकारों को न मंजूर करने वाली दुनिया में अजीब, चतुर वर्ण विवश था, इसका पालन पोषण करने वाले धर्म बन्धन और मानव को बेबस बनाने वाली ईश्वर की होड़, इस सिलसिले को समझ कर और उसके प्रति वैज्ञानिक, मानवीय दृष्टिकोण से देखने का अहसास ही दलित साहित्य का मूल आधार है। इसको न मन्जूर करने वाले और बहाना बनाने वाले सब लेखक व 'दलित साहित्य' के नाम पर प्रकाशित होने वाली आलोचनायें मनुष्य में विरोध पैदा करती हैं। बेसमझों के इस यत्न को पहचान कर उसको खत्म करने के लिए 'दलित साहित्य' पनप रहा है।

आधुनिक 'दलित साहित्य' जो लिखा जा रहा है, वह खुद पीड़ितों द्वारा लिखा जा रहा है। बचपन से लेकर जवानी तक इसकी जिस अपमान, उपेक्षा, नफरत, लूट व असह्य गरीबी से गुजरना पड़ा है, उसको वैसे ही अपनी लेखनी से पेश कर रहे हैं। इसलिए इनकी लेखनी में छाया हुआ बाद में रहस्यवाद, प्रयोगवाद आदि की बुराइयां दिखाई नहीं देती। 'दलित साहित्य' पेट भरे लोगों का साहित्य नहीं है।

इसलिए इसमें शुरू से अन्त तक अपनापन दिखाई देता है। दलित साहित्य को पढ़ते वक्त. कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह हवा में बातें कर रहे हैं या आत्मा–परमात्मा, भाग्य भगवान, नरक–स्वर्ग जैसी तमाम बातों का वर्णन कर रहे हैं, बल्कि यह महसूस करते हैं कि हमारी मानसिक गुलामी का वर्णन यह अपनी लेखनी के द्वारा कर रहे हैं।

दलित साहित्य की विशेषतायें, प्रेरणायें व प्रकृति पूरी तरह से अलग है। साहित्य की भेद इसमें उठ रहे विचारों व भावुक प्रेरक तत्वों से मिल सकता है। जिस मानव ने न केवल पूरी हिन्दू सभ्यता व उसमें उपज भारतीय और मराठी साहित्य की ही निन्दा की है, बल्कि उसका विरोध किया और उसके बदले में संघर्ष द्वारा नई सभ्यता का उल्लेख भी किया। उसमें डा. बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन व संघर्ष में 'दलित साहित्य' के बीज बोये गये हैं। लगातार तेज बुद्धि, चिन्तनशीलता, एकात्मिकता, विद्रोह अम्बेडकर के चरित्र में इस तरह से रच गये थे कि इनके ग्रन्थों, भाषणों व रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। उनकी क्रान्तिकारी विचारधारा का आधार भी यही है। उन्होंने मानव मुक्ति की लड़ाई को तेज करने के लिए भारतीय समाज व्यवस्था की नींव पर ही एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहब डा. अम्बेडकर की सोच के कई पहलू स्पष्ट हैं। लोकतन्त्र व पूर्ण आजाद, व चेतनाशील मनुष्य की स्वतन्त्रता में दिखाई देता है। लोकतन्त्र में हर प्रकार लूटी गई

(शेष भाग... पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

भारतीय दलित साहित्य अकादमी– जिसने दलित साहित्य पताका को विश्व में फैलाया

• डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी देश और काल का साहित्य बताता है कि उस युग में वहां समाज में क्या कुछ हुआ और जो कुछ हुआ वह कितना उचित था और कितना अनुचित। इससे भी आगे बढ़कर उच्च कोटि का साहित्य यह भी बताता है कि–आदर्श रूप में होना क्या चाहिए था। वास्तव में साहित्यकार एक ऐसा सजग प्रहरी है जो सोये हुए समाज को जगाता और सावधान करता रहता है।

राजतंत्र व सामंतवादी व्यवस्थाओं, धार्मिक व सामाजिक रूढ़िवादी प्रथाओं तथा मानवीय स्वार्थपतिता की बलवती भावना ने जुड़ मिलकर दुनिया के हर देश व काल में मानव का शोषण व उत्पीड़न किया है उसे गुलाम बनाया है। मगर उस अमानवीय कृत्य व अन्याय के विरुद्ध सदैव ही उस काल व देश के साहित्यकारों ने अपनी लेखनी उठाई है, समाज को सजग किया है और आवश्यकता पड़ने पर बहुत सी क्रांतियों को भी जन्म दिया है। यूरोप में शोषण, उत्पीड़न व गुलामी के विरुद्ध हुई क्रांतियों में साहित्यकारों का ही हाथ रहा है बहुत से क्रांतिकारी स्वयं साहित्यकार भी थे जिनमें मोंतस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो, पिपरो प्रमुख थे।

भारत में 85 प्रतिशत दलित साधारण जन को जाति और वर्ण व्यवस्था के पर्दे में हजारों साल से गुलाम बनाया हुआ है उनका जी भर कर शोषण और उत्पीड़न हुआ है और आज भी निर्वाध रूप से हो रहा है क्योंकि इस वर्ग पर धार्मिक व सामाजिक कानूनों बंदिश लगा कर पढ़ने लिखने पर रोक लगा दी थी अतः वह प्राचीन युग से लेकर आधुनिक काल तक कोई भी ऐसा साहित्यकार उत्पन्न नहीं कर सका जो इस वर्ग को जगाता उसे उक्त अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार कर सकता। मगर इस युग में परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। विद्या का चारों ओर प्रचार हो रहा है। अतः इस वर्ग ने अगणित साहित्यकारों को जन्म दिया है। उनकी लेखनी में बहुत दम है उक्त व्यवस्था के विरुद्ध उनके दिल–दिमागों में क्रांति के बुलबुले उथल पुथल मचा रहे हैं। वे कुछ अनहोनी कर देने पर अमादा हैं। मगर क्योंकि वे अलग–अलग बिखरे हुए हैं, गरीब हैं, साधन हीन हैं इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं फिर भी क्या एक चना भाड़ फोड़ेगा? अतः एक ऐसे संगठन की अति आवश्यकता थी जहां वे सब मिलकर अपनी आन्तरिक शक्तियों, विचारों व उद्विग्न भावनाओं का भरपूर प्रयोग कर सकें। इसी कारण भारतीय दलित साहित्य अकादमी के संगठन की महान आवश्यकता थी।

आज देश के हर ईमानदार, सचरित्र व उच्च–कोटि के बुद्धिजीवी व प्रगतिवादी साहित्यकार के भो सम्मुख सबसे बड़ी समस्या जाति और वर्णव्यवस्था

(शेष भाग... पृष्ठ 4 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	100/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
मेरे साक्षात्कार–मेरा जीवन संघर्ष	डा. सुमनाक्षर	300/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	100/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	100/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	100/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	100/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	100/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	200/–
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए अग्रिम राशि निम्नलिखित अकादमी के खाते में भेजें

Bharatiya Dalit Sahitya Akademi
A/c No. - 2592101012292 (Canara Bank)
IFSC - CNRB0002592
Branch - Model Town, Delhi

पृष्ठ 1 का शेष...दलित साहित्य–मानव मुक्ति का साहित्य

व्यवस्था के विरोध में मानव मुक्ति का संघर्ष अवश्य है। लोकतन्त्र में जहां बहुशक्ति की निर्णायक चेतना का महत्व है, वहां पर अल्पसंख्यकों पर किए गये सामाजिक, आर्थिक और समस्त अत्याचारों के खिलाफ रोष का कहीं उससे भी ज्यादा महत्व है। सामाजिक, राजनीतिक व समानता पर आधारित लोकतंत्रिय समाज रचना में डा. अम्बेडकर का अटूट विश्वास था।

'दलित साहित्य' का अर्थ क्या है? क्या दलित साहित्य 'दलित साहित्य' है या नहीं? असल अर्थों में यह कौन सा वर्ग है जिसके लिए यह 'दलित' शब्द इस्तेमाल किया जाता है? मार्क्सवादी प्रोलेतारी शब्द के साथ इसका क्या सम्बन्ध है? क्या किसी एक जाति को जाहिर करने वाला एक सामूहिक जातिवाचक शब्द है? न जाने कितने ही सवाल इस एक शब्द को ले करके पूछे जा रहे हैं, व पूछे जा सकते हैं।

'दलित साहित्य' के आन्दोलन में दलित साहित्यकारों की नई पीढ़ी के नेता, कहानीकार, उपन्यासकार और दलित आन्दोलन व दलित साहित्य को समर्पण, तिमाही पत्रिका 'अम्मी' के सम्पादक बाबू राव बागुल ने अपने लेख 'दलित साहित्य' में 'दलित' शब्द व दलित साहित्य की चर्चा की है। वे लिखते हैं दलित साहित्य वह विचार है जो मनुष्य को शिक्षित करता है। मनुष्य को देव, धर्म, देश से भी उच्च स्तर पर रखता है। यह वो विचार है जो आज के युग में मेल खा सकता है। वे आगे लिखते हैं–दलित साहित्य के पीछे जाति भावना की परम्परागत प्रेरणा काम नहीं कर रही, यह आधुनिक युग और वर्तमान समाज की भूमिका पर आधारित है। दलित साहित्य निर्माण कलाकार का विचार है।

महाड़ में महाराष्ट्र बौद्ध साहित्य सम्मेलन को प्रधानता करते वक्त उन्होंने दलित साहित्य की धारणा व प्रेरणा की व्याख्या करते हुए कहा था–दलित साहित्य का केन्द्र बिन्दू है–मानव–जो मानव के इर्द–गिर्द घूमता है। उसकी राय में मानव महान है। इसलिए मानव को स्वतन्त्रता की घोषणा दलित साहित्य हर वक्त करता रहता है। मानव प्रकृति की छोटो प्रतिमा है, और गतिशील व जिन्दा रहना प्रकृति का धर्म है।

1960-61 के पहले महाराष्ट्र बौद्ध साहित्य सम्मेलन की प्रधानता करते समय प्रगतिशील दलित साहित्यकार अणाभाड़ साठे ने कहा था–''मैं जुर्रत से कहता हूं कि दुनिया दलित की हथेली पर टिकी हुई है, न कि शेषनाग के फन पर, इसलिए दलित के जीवन का चिंतन में ईमानदारी से करता आ रहा हूं, और करता रहूंगा।''

दलित पैंथर ने जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया है, उसमें भी दलित कौन है? की परिभाषा दी गई है। इसी घोषणा पत्र में दुनिया के दलितों में रिश्ते के प्रति लिखा है। अमेरिकी साम्राज्य के षड्यन्त्र में आज सारी दलित दुनिया, दुखी देश व दलित जनता पिसी जा रही है। अमेरिका के मुट्ठी भर गोरे लोग नीग्रो लोगों पर जुल्म ढाह रहे हैं। इन अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए ब्लेक पैंथर आन्दोलन से ही 'ब्लेक पावर' काले लोगों की सत्ता का निर्माण हुआ है। वियतनाम, कम्बोडिया, अफ्रीका के आदर्श हमारे सामने हैं। 'दलित' का अर्थ है सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व साम्प्रदायिक लूट खसोट के कारण पीड़ित, अनु. जाति, पिछड़े लोग, आदिवासी, स्त्री वर्ग, भूमिहीन, मजदूर, गरीब किसान पैदावार के साधनों के वंचित लोग दलित हैं।'' इस प्रकार दलित साहित्य की विचारधारा परम्परागत जातिवादी विचारधारा न हो करके वर्तमान युग की मांगों से उत्पन्न मानव के प्रति दया रखने वाली विश्व जननी विचाराधारा है। इसलिए दलित साहित्य का आन्दोलन इतना महत्वपूर्ण लगने लगता है कि दलित लेखकों की यह प्रेरणा अगर मानव की आजादी को उभार सकी तो यह मानना पड़ेगा कि यह वही प्रेरणा है जिसके द्वारा सर्वोत्तम साहित्य का निर्माण हो सकेगा।

'दलित साहित्य' दलित वर्ग के हाड़, खून, मांस में रमा है। **यह दलितों का, दलितों द्वारा, दलितों की भाषा में लिखा गया जिन्दा साहित्य है।** दलित साहित्य सीधा मानव के मन से टकराता है। **मानव इसका केन्द्र बिन्दु बन जाता है।** यह वो मानव नहीं जो आरामदायक चारदिवारी के अन्दर बन्द किसी न किसी धार्मिक भावना से प्रेरित मध्यवर्गीय होता है। यह वह इन्सान है जो आज तक पैरों के नीचे कुचला जाता रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, आधुनिकता के हर क्षेत्र में दुत्कारा जाता है। गैरइन्सानियत आर्थिक अत्याचारों का शिकार यह हिन्दू धर्म की वर्णव्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था में दब कर रह गया है, और मानसिक तौर पर कभी का ही दम तोड़ चुका है। दलित साहित्य पर विशेष व श्रेष्ठ साहित्यकार डा. ऐन बानखेड़े कहते हैं–''नीग्रो समाज के लेखकों की तरह दलित लेखक भी भलीभांति समझ चुका है कि दया की भीख मांगकर जिन्दा नहीं रहा जा सकता, विद्रोह किये बिना यह दायरा नहीं टूटेगा। इसलिए अब दलित लेखक ने अपनी आजाद कलम उठाई है। वह अपने रोष को भावुक रूप देने लगा है कि कोड़े लगाये बगैर, विद्रोह का झंडा उठाये बगैर यह बन्धन नहीं टूटने वाले। इस बन्धन को तोड़ने का मतलब यह भी नहीं कि उन्होंने समाज से अलग हो जाना है। उन्होंने तो समाज में रहते हुए विद्रोह करना है। अन्तर सिर्फ इतना है कि दया मांगने की बजाय वो अब आग उगलने लगा है।

महाड़ में दूसरे दलित साहित्य सम्मेलन की प्रधानगी करते बाबू राव बागूल कहते हैं–''दलित साहित्य उनका साहित्य नहीं है जो बदला लेने को उतारू है, बल्कि **यह मानव की महानता है व मुक्ति की घोषणा करता है।** यह एक ऐतिहासिक आवश्यकता है।''

दलित साहित्य में भाषावाद, प्रांतवाद प्रौर राष्ट्रवाद नहीं है। दलित साहित्य तो मानव को ही सर्वोत्तम मानता है। मानव की महानता के लिए जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वह सब कुछ दलित साहित्य का ही है। मानव के लिए संघर्ष करने वाले लेखक चाहे विदेशी भी हों तो भी वे अपने हैं। जातिवाद फैलाने वाला चाहे वह भारतीय भी हो तो भो वह हमारा कुछ नहीं लगता। कारण, हमारा लिखने का उद्देश्य ही 'मानव मुक्ति' व 'महानता' है।

सम्पूर्ण विश्व का नामकरण मानव ने ही किया है। वर्ण, जात, देव, धर्म, वर्ग सब कल्पना है जिसको खत्म किया जा सकता

पृष्ठ 1 का शेष...दलित साहित्य—मानव मुक्ति का साहित्य

है। इसलिए सब कला, साहित्य का नाम एक 'मनुष्य' है। मनुष्य कभी दलित नहीं होता।

दलित लेखक विद्रोह की आवाज उठाते हैं। परन्तु यह विद्रोह आखिर है किसके खिलाफ? **विद्रोह को अर्थ खिलाफत नहीं होता। विद्रोह का अर्थ होता है—क्रांति। दलित लेखकों का विद्रोह प्रस्थापित साहित्य व नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है।** कला के लिए कला के विरुद्ध, सनातन रूढ़ियों के विरुद्ध, परम्परा व जातिवाद के विरुद्ध है।

संसार में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं वो सब दलित लेखकों के आदर्श हैं। वो चाहे साहित्य के क्षेत्र के हुए हों या किसी और क्षेत्र में **चार्वाक से लेकर महात्मा फुले व डा. बाबा साहब अम्बेडकर तक उन्हीं के आदर्श हैं।** नीग्रो लेखकों ने भी मानवता, मानवीय अधिकार व समानता के लिये कदम बड़े सबूत से उठाये हैं।

दलित साहित्यकार ने अपने सर्वोत्तम दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखने का यत्न किया है। अपने दुख व मुसीबत, असहाय, आशा—आशंका, प्रबल इच्छा शक्ति प्रवृतियों के दर्शन आज दलित साहित्य में से हो रहे हैं। बन्धन मुक्त होने के लिए इसके द्वारा प्रकट हो रहा है। **मानव को मुक्ति का रास्ता खोजते हुए दलित साहित्य अपनी दबी हुई आवाज को शब्द अपनी रूप दे रहा है।**

दलित साहित्य ने बाईकाट किए हुए उन लोगों को अपना नायक बनाया है जिनको वर्ण—व्यवस्था ने अशुभ व पवित्र माना है। पूर्व जन्म का अपराधी कह कर जिनकी निन्दा की गई है। सभी इतिहासकारों ने इनके खिलाफ दुश्मनी की और कभी भी उनको नायक नहीं बनाया। **दलित साहित्य ने इन दुत्कारे हुए लोगों की विचार रचना का केन्द्र बिन्दु बनाया है।** क्योंकि सम्यक परिवर्तन इसका स्वभाव है। **दलित साहित्य ने दलितों को अपने साहित्य में नायक का रूप देकर बहुत कुछ प्राप्त किया है।**

जब दलित साहित्य में सबकी निन्दी है तो स्वीकार क्या किया है? यह स्वाभाविक सवाल खड़ा हो जाता है। इसका यही जवाब दिया जा सकता है कि इस मनुष्य ने उस ज्ञान विज्ञान को स्वीकारा है जो वर्तमान समय के अनुकूल है। इस प्रथाओं, धाराओं, परम्पराओं आदि के प्रति धूल उड़ाई है। यह आज के युग की मांग है। यह परिवर्तन नव निर्माण दलित साहित्य ने स्वीकारा है जो कि समांतर साहित्य को भी स्वीकार करता है। इस स्वीकार से दलित खुद ही युग समांतर बन गया है। **यह हमारे क्रांतिकारी युग की विशेषताओं का प्रतिनिधि बन गया है।**

यह विशेषता है मानव की लूट, पीड़ा, दुख से मुक्ति, सामाजिक समानता व विश्व भाईचारा।

आखिर इन्सान, इन्सान बनेगा ही। इन्सान बनने की इस प्रतिक्रिया को कोई नहीं रोक सकता। इस धारणा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उतावले लोगों ने महसूस किया है और सहमति दी है कि वे लोग जो किसी न किसी तरह बन्धन बनाने में लगे हुए हैं अगर यह सत्य स्वीकार कर लें और सहमति दे दें तो एक और साहित्य पैदा होगा जिसको दलित साहित्य या सब प्रकार की लूट विरुद्ध वाला साहित्य कहना ही उचित होगा।•

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे अब यह आन लाईन 'यू-ट्यूब' पर उपलब्ध है। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसके लिए आप वार्षिक शुल्क 500/- Payphone पर भेज सकते हैं।

सम्पादक :
हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9
मो. 9810278936, 9891989175

सम्पादकीय का शेष भाग....
भारतीय दलित साहित्य अकादमी— जिसने दलित साहित्य पताका को विश्व में फैलाया

तथा धार्मिक अन्धविश्वास की बुराइयों का अन्त काल है जिस दिन इस बुराई का अन्त हो जायेगा साधारण जन दलित वर्ग का उद्धार होगा ही, साथ ही देश की प्रगति के चहुंमुखी रास्ते भी खुल जायेंगे देश की बनी नर्कवत् स्थिति बदलकर स्वर्ग में परिणित हो जायेगी।

मगर क्या विचार है कि शोषक वर्ग का बुद्धिजीवी दार्शनिक व साहित्यकार वर्ग उक्त समस्या को सुलझाने का बीड़ा उठाता? नहीं! कदापि नहीं! भेड़ियों के नेता को क्या पड़ी है कि वह भेड़ों का अपने समुदाय का विरुद्ध नेतृत्व करें। आप नहीं जानते, वह तो अपने जन्म को सुधारने में लगा है अपनी स्वार्थ साधना में निमग्न है और अव्वल दर्जे का स्वार्थी है। वह तो उल्टा समाज को भ्रांति के पथ पर डालने में लगा हुआ है, जनमानस को अंधविश्वास में गर्त में डालने के वाली रचनायें रच कर स्वयं सिद्ध महाकवि बना हुपा है। भारतीय प्राचीन सभ्यता को अपनी कह कर व हिन्दुत्व के नाम पर प्राचीनता व पिछड़ेपन से चिपटा हुआ है, देश को पीछे घसीटने में लगा हुआ है, उसे प्रगति से चिढ़ है पश्चिमीवाद कहकर उससे नकारता व मुंह सिकोड़ता है। मगर मैं उसे न तो लेखक ही मानने को तैयार है न कवि। वह तो घसियारे से भी गया गुजरा है जिसकी खोदी घास पशुओं के खाने के काम तो आती है मगर उसके रचे हुए कागजों के ढेर खाने के काम भी नहीं आते मानव जाति का किसी प्रकार का हित तो असंभव ही है। यही कारण है मुंशी प्रेमचन्द के बाद कोई भी साहित्यकार हिन्दी भाषा के गगन के क्षितिज पर सितारा बनकर नहीं उभर सका। विश्वास कीजिए, भविष्य में वे ही भाग्यशाली साहित्यकार कीर्ति के भागी होंगे जो इस बीमार देश और समाज में अपनी रचनाओं से क्रांति की आग फूंकेंगे, पुरातत्व को पूरे गड्ढे में दबाकर राष्ट्र व समाज को नवीनता के पथ पर आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगे। दावे के साथ कहा जा सकता है ऐसा कोई क्रांतिकारी युग पुरुष, साहित्यकार दलित साधारण जन ही पैदा करेगा।

दलितों के मसीहा डा. अम्बेडकर ने कहा है कि पहले शिक्षित हों फिर संगठित, तब संघर्ष

की ओर बढ़ें। संभवतः दलित साधारण जन अभी पहली दो मंजिलों से जूझ रहा है तथा तीसरी की ओर कदम बढ़ाने की सोच रहा है। दलित साहित्यकारों को पूरी तरह संगठित साधारण जन को शिक्षित करना है और नई क्रांति के लिए प्रेरित करना तभी मंजिल प्राप्त होगी। मगर यह सब कुछ इतना आसान नहीं जितना कि समझ लिया गया है। इसके रास्ते में हिमालय पर्वत जैसी कठिन रूकावट है, वह है धार्मिक अन्धविश्वास की। जिन्होंने यूरोप का इतिहास पढ़ा है वे भली प्रकार जानते हैं कि सर्वप्रथम वहां पुनर्जागरण के नाम से धार्मिक सुधार को क्रांतियां हुई थीं। रोमन कैथोलिक अन्धविश्वासियों के विरूद्ध नौजवान प्रगति वाली प्रोटेस्टेन्टों ने 100 साल तक लड़ाई लड़ी। कैल्विल हजारों अनुयायियों व प्रो. जान इस जैसे नौजवानों को आग में जिंदा जला दिया गया था। मगर मार्टिन लूथर ने बड़े साहस व विद्वता से उक्त आन्दोलन का नेतृत्व किया। अन्त में नौजवान प्रोटेस्टेटो की विजय हुई और अंधविश्वास के पर्दे में फैले प्रज्ञान के जाले को काट–काट कर तार–तार कर दिया। उसके बाद ही वहां सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक व आर्थिक क्रान्तियों के मार्ग प्रशस्त हुए। इस देश में समानता पर आधारित जाति वर्गविहीन समाज की संरचना करने के इच्छुक, प्रगतिवादी बुद्धिजीवी व लेखक वर्ग के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा, धर्म–कर्म के नाम पर चिपटा हुआ अंधविश्वास का अभिशाप है जिसने जनसाधारण के दिमाग को जड़ बना दिया है, स्वतंत्र चिंतन को घुन लगा दिया है। मैंने अपने ऐतिहासिक शोध ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि आर्यों पर विजय राजनैतिक के स्थान पर आध्यात्मिक अधिक थी यानी आर्यों ने यहां के अनार्य आदिवासियों को पहले तो युद्ध में जीतने के बाद शारीरिक रूप से गुलाम बनाया। बाद में धर्म कर्म व ईश्वरवाद के विकट जाल में फंसा कर मानसिक रूप से भी गुलाम बना दिया। वास्तव में वह मानसिक गुलामी अन्धविश्वास का ही एक फल थी। उपरोक्त जाल साधारण नहीं बल्कि मजबूत फौलाद के तारों का बना है। इसे तोड़ने के लिए तो जन–जन को मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा। स्पष्ट है धार्मिक व सामाजिक क्रान्ति दलित साहित्यकारों का सबसे बड़ा व सर्वप्रथम निशाना होगा। तभी वह समानता पर आधारित जाति व वर्गविहीन समाज की संरचना का स्वप्न पूरा कर पायेगा। •

दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए कारगर कानून

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुर्नवास का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

अत्याचार के अपराध

धारा 3 – अत्याचार के अपराधों के लिए दंड :

1. कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा।

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल–मूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा।

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरूद्ध है;

(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आंवटित किये जाने के लिए अधिसूचत किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आवंटित भूमि को अंतरित करा लेगा;

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा;

(vii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यार्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा;

(viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा;

(ix) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्द करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा।

(x) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी

पृष्ठ 5 का शेष....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

सदस्य का अपमान करने के आशय से उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा।

(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा।

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती करेगा।

(xiii) किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्‌गम के जल को जो आमतौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यो द्वारा उपयोग में लाया जाता है दूषित या गंदा करेगा। जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो जाये जिसके लिए उसका आम तौर पर प्रयोग किया जाता है।

(xiv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रूढिजन्य अधिकार सं वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचायेगा, जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाये, जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचाने का अधिकार है।

(xv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास–स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हैं – सदस्य नहीं

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोष सिद्ध कराना है या यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है. किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हैं, दोष सिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा संभाव्य है; वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने के कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है; वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधिन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 4 : कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड–

कोई भी, लोकसेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 5: तदनंतर दोषी करार दिये जाने पर बढ़ाया गया दण्ड–

कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जा अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 6 : भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना–

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंडसंहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंडसंहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

धारा 7 : कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण –

(1) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी

अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पति, स्थावर या जंगम, या दोनों, जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय, ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपति, स्थावर या जंगम, या दोनों, ऐसे विचारण अवधि के दौरान, कुर्क की जाएगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोष सिद्ध है वह इस प्रकार कुर्क की गई संपति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

धारा 8 : अपराधों के बारे में उपधारणा इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए –

अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि –

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति की, या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति की कोई वित्तीय सहायता की है तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह अपधारण करेगा कि ऐंसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है,

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

धारा 9 : शक्तियों का प्रदान किया जाना–

(1) संहिता मे या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह–

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी।

धारा 11 : किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया–

(1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है–

(क) निर्देश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है, या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लौट सकता और अधिरोपित शर्तो के सम्यक अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना बंधपत्र निष्पादित करे।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिए निर्देश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अस्थायी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

धारा 14 : विशेष न्यायालय–

राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधि–सूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के एक सेशन न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

धारा 15 : विशेष लोक अभियोजक–

राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

धारा 16 : राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति–

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबंध,

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

धारा 12 : ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप या फोटो लेने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या इंकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो (जिसके अन्तर्गत नेगेटिव भी है) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरूद्ध आदेश किया गया था।

धारा 13 : धारा 10 के अधीन आदेश अननुपालन के लिए शास्ति—

वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा—

धारा 14 : विशेष न्यायालय—

राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के एक सेशन न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

धारा 15 : विशेष लोक अभियोजक—

राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि—व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

धारा 16 : राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति—

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबंध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए उससे संबंध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।

धारा 17 : विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाई—

(1) यदि जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से नीचे स्तर का नहीं होगा, सूचना प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार—बार आते जाते हैं। इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कारवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा शांति एवं सदाचार बनाये रखने तथा लोक व्यवस्था व प्रशांति बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाई कर सकेगा और निवारक कारवाई कर सकेगा।

(2) संहिता के अध्याय 8 अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा(1) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक योजनाओं वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए ऐसी स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कारवाई करेंगे।

धारा 18 : अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना—

संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होंगे।

धारा 19 : इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परीवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना—

संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।

धारा 20 : अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना—

इस अधिनियम में जैस अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव करने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे। •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। □ सह सम्पादक एवं व्यवस्थापक - जय सुमनाक्षर, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।
सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009